फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत	SDO	मुकाम	बनेड़ा
...ज बदावत	रामचन्द्र गुर्जर	बनाम	भंवर सिंह वगैरह
किस्म मुकदमा	188 RTA	नं.	100/15 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम सालरियाकंला में पेश हुई। नियत शिविर में वादी संख्या 01 को छोडकर समस्त वादीगण एंव प्रतिवादीगण उपस्थित आयें। स्वंय वादीगण एंव शिविर के दौरान उपस्थित कुछ मौत बिरान के द्वारा यह अवगत कराया गया कि वादी संख्या 01 रामचन्द्र गुर्जर का देहान्त विगत एक वर्ष पूर्व ही हो चुका है। यानि विगत 01 वर्ष से वादी संख्या 01 के कायम मुकाम अब तक रेकार्ड पर उपलब्ध नही है, एंव न ही स्वंय वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा इस सन्दर्भ में कुछ अवगत कराया है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। जबकि वादीगण को मृतक वादी के कायम मुकाम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. के माध्यम में विहित समयावधि में प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है। इस हेतु आज उपस्थित वादीगण को इस आवश्यक प्रतिपूर्ति हेतु स्मरण कराया गया, किन्तु उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त करते हुए, कोई संतोषप्रद कारण आज सुनवाई के दौरान सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाया जाना भी उचित नही है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाडा)	नकल दी गई निर्णय मोहर